रेरा में आयीं 1998 शिकायतें

हो रही कार्रवाई

- 410 बिल्डरों को जारी किया गया है नोटिस

संवाददाता ▷ पटना

विधान परिषद में प्रदेश की रियल एस्टेट कंपनियों की मनमानी और उपभोक्ताओं के साथ की जा रही धोखाधड़ी का मामला पूरी ताकत से उठा. विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर संजीव सिंह ने भी सहभागिता की. दोनों ने पुरजोर कहा कि उपभोक्ताओं की तरफ से समुचित पैसा जमा करने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं दिये जा रहे हैं.पटना और राज्य के कई हिस्सों में निर्मित एवं अर्धनिर्मित अपार्टमेंट की जांच करायी जाये. इसके बाद उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है.

उन्होंने कहा कि जनवरी, 2021 तक रेरा में कुल 1998 शिकायतें आयी हैं. इनमें से लापरवाह 410 बिल्डरों को नोटिस भी जारी कर दिये गये हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि रेरा ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य में निर्माणाधीन या निर्मित होने वाली 1114 परियोजनाओं का रेरा में निबंधन किया जा चुका है. उनमें 370 परियोजनाएं ऐसी हैं जो रेरा एक्ट लागू होने के तिथि के दौरान निर्माणाधीन थीं. एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने बिल्डरों की मनमानी का उदाहरण देते हुए कहा कि अनु आनंद कंस्ट्रक्शन ने छह साल बाद भी अपने अधिकतर उपभोक्ताओं को फ्लैट नहीं दिये हैं. इस बात का समर्थन केदार नाथ पांडेय ने भी किया. उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के नियमानुसार इस कंपनी को 2016-17 में दे देने चाहिए थे.

- विधान परिषद में गूंजा रियल एस्टेट कंपनियों की गड़बड़ियों का मामला, वित्त मंत्री ने दिया जवाब

विशेष तथ्य

- रेरा में आयी शिकायतों का समाधान- **419**
- जमीन बिक्री में एजेंटों के निबंधन के लिए आये आवेदन- **352**
- एजेंट को अब तक किया जा चुका निबंधन- **323**

Scanned with CamScanner